पत्रांक— 3/एम0—26/2023सा0प्र0......18119../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना—15, दिनांक—...26.9....2023

विषयः— बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 (समय—समय पर यथासंशोधित) का Master Circular के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्मिक विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) की अधिसूचना संख्या—4 दिनांक—10.02.1976 (गजट संख्या—243 दिनांक—10.02.1976) द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 अधिसूचित है। उक्त नियमावली में अधिसूचना संख्या—20648 दिनांक—30.10.1976, 1847 दिनांक—07.04.2001, 2404 दिनांक—04.05.2001, 3468 दिनांक—16.11.2011 एवं 1823 दिनांक—16.02.2017 द्वारा कतिपय संशोधन किये गये हैं। उक्त संशोधन से संबंधित सभी अधिसूचनाएँ एक साथ उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त नियमावली के प्रावधानों के संदर्भ में कार्रवाई किये जाने के क्रम में प्रशासी विभागों/कार्यालयों में शंका की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना होती है और इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग में कतिपय रेफरेन्स भी प्राप्त होते हैं।

2. वर्णित स्थिति में मूल नियमावली में विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा किये गये सभी संशोधनों को समावेशित कर Master Circular तैयार किया गया है जिसमें उक्त सभी अधिसूचनाओं, स्पष्टीकरण से संबंधित परिपत्रों तथा नियमावली से संबंधित FAQ भी संलग्न किया गया है।

3. सुलभ संदर्भ हेतु उक्त Master Circular की प्रति संलग्न है।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 25-9-2023

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976

[1]जी० एस०आर० 4 दिनांक– 10 फरवरी, 1976–भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल सरकारी सेवकों के आचार को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रयुक्ति।**– (1) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली, 1976 कहलाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी जो बिहार राज्य के कार्यों से सम्बन्धित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियमविधायी शक्तियों के अध्यधीन हो।

2. **परिभाषाएँ।**– (क) इस नियमावली में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, "सरकार" से अभिप्रेत हैं–

(i) उस सरकारी सेवक की दशा में जिसकी सेवाएँ भारत सरकार को सौंप दी गयी हों, भारत सरकार।

(ii) उस सरकारी सेवक की दशा में जिसकी सेवाएँ किसी अन्य राज्य की सरकार को सौंप दी गई हों, उस राज्य की सरकार, और

(iii) अन्य सभी दशाओं में, बिहार सरकार।

(ख) "सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है राज्य के कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में सेवा करने के लिए नियुक्त ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में बिहार– राज्यपाल भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन नियम बनाने में सशक्त है, चाहे वह व्यक्ति उस समय भारत सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो या किसी राज्य सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में अथवा चाहे वह उस समय वाह्य सेवा में हो या छुट्टी पर हो।

---

[1] बिहार राजपत्र (असाधारण अंक) दिनांक– 10 फरवरी, 1976 में प्रकाशित।

स्पष्टीकरण:– जिस सरकारी सेवक की सेवाएँ सरकार द्वारा किसी कम्पनी, निगम, संगठन या स्थानीय प्राधिकार को सौंप दी गई हों, वह इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, सरकार के अधीन काम करनेवाला सरकारी सेवक समझा जाएगा ही, भले ही वह अपना वेतन राज्य की संचित निधि से भिन्न किसी स्रोत से पाता हो।

(ग) सरकारी सेवक के सम्बन्ध में "परिवार के सदस्य" में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल है:–

(i) सरकारी सेवक की यथास्थिति, पत्नी या पति, चाहे वह सरकारी सेवक के साथ रहता/रहती हो या नहीं, किन्तु इसमें यथास्थिति, ऐसे पत्नी या पति शामिल नहीं है जो किसी सक्षम न्यायालय की डिग्री या आदेश से उस सरकारी सेवक से अलग हो गया/गई हो;

(ii) सरकारी सेवक का ऐसा पुत्र या पुत्री अथवा सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो, किन्तु इसमें ऐसा पुत्र/या पुत्री अथवा सौतेला पुत्र या पुत्री शामिल नहीं हैं जो सरकारी सेवक पर अब आश्रित नहीं रह गया/गयी हो अथवा जिसकी अभिरक्षा के दायित्व से सरकारी सेवक किसी विधि द्वारा या विधि के अधीन वंचित कर दिया गया हो;

(iii) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो सरकारी सेवक की पत्नी या पति के साथ रक्त मूलक या विवाहमूलक सम्बन्ध रखता हो और उस सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो।

(घ) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है–

(i) राजपत्रित सरकारी सेवकों के विषय में, सरकार के वैसे विभाग जिनके संवर्ग (काडर) या स्थापना में वे रखे गए हों;

(ii) श्रेणी III के पद धारण करनेवाले सरकारी सेवकों के विषय में नियुक्त प्राधिकारी;

(iii) श्रेणी IV के पद धारण करनेवाले सरकारी सेवकों के विषय में, उस स्थापना का प्रधान जिसमें वे रखे गए हो; और

(iv) ऐसे सरकारी सेवक के विषय में, जो वाह्य सेवा में या प्रतियोजन पर हो, यथास्थिति वह मूल विभाग या कार्यालय जिसके संवर्ग या स्थापना में वह रखा गया हो।

3. **(1) सामान्य।**– हर सरकारी सेवक सदा –

(i) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा,

(ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा, और

(iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

(2) हर सरकारी सेवक जो पर्यवेक्षी पद पर हो इसके लिए सभी सम्भव प्रयास करेगा कि तत्समय उसके नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन स्थित सभी सरकारी सेवक शीलनिष्ठा और कर्त्तव्यनिष्ठा बनाए रखें।

(3) हर सरकारी सेवक अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्पादन में अथवा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अपने उत्तम विवेक से ही काम लेगा, सिवाय वहाँ जहाँ कि वह अपने उच्चतर पदाधिकारी के निर्देश के अधीन काम कर रहा हो, और जब वह ऐसे निदेश के अधीन काम कर रहा हो, तब जहां व्यावहारिक हो, पहले ही लिखित निदेश ले लेगा और जहाँ पहले लिखित निदेश लेना व्यावहारिक न हो वहाँ उसके बाद यथाशीघ्र उस निदेश की लिखित सम्पुष्टि करा लेगा।

स्पष्टीकरण– नियम–3 के उप–नियम–(3) की किसी बात से यह अर्थ न लगाया जाएगा के सरकारी सेवक को अपने उच्चतर पदाधिकारी या प्राधिकारी से अनुदेश या अनुमोदन लेकर अपने उत्तरदायित्वों से बचने की शक्ति वहाँ भी प्राप्त है जहाँ शक्तियों और उत्तरदायित्वों के वितरण की व्यवस्था के अनुसार ऐसा अनुदेश लेना आवश्यक नहीं है।

[2][(4) यौन उत्पीड़न पर निषेध– (1) कोई भी सरकारी सेवक कार्यस्थलों पर किसी महिला सरकारी सेवक का यौन उत्पीड़न नहीं करेगा।

(ii) प्रत्येक सरकारी सेवक जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी हो, ऐसे कार्यस्थल पर किसी भी महिला सरकारी सेवक के यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए समुचित उपाय करेगा।

स्पष्टीकरण– नियम–3 के उप नियम–(4) के उद्वेश्य से "यौन उत्पीड़न" में ऐसे सभी अवांछनीय यौन निर्धारित व्यवहार (चाहे सीधे रूप से या अन्यथा) शामिल होंगे, यथा–

(क) शारीरिक सम्पर्क एवं इसके लिए आगे बढ़ना, (ख) यौन अनुमति के लिए अनुरोध या मांग, (ग) यौन रंजित टिप्पणियाँ, (घ) अश्लील साहित्य दिखाना, (ङ) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक मौखिक या गैर–मौखिक आचरण।

[नोट– रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या–666–70/1992–विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक–13.08.1997 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु दिशा–निदेश सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–17903 दिनांक–29.12.2014 द्वारा संसूचित किया गया है जिसके द्वारा **आंतरिक शिकायत समिति** तथा **स्थानीय शिकायत समिति** के गठन का प्रावधान किया गया है। इस संकल्प के द्वारा इस विषय पर पूर्व से निर्गत सभी संकल्प/अनुदेशों (यथा 2404 दिनांक–04.05.2001; 2058 दिनांक–17.04.2001; 3217 दिनांक–26.02.2013 आदि) को रद्द कर दिया गया है।]

[3]4. **मादक पेयों और औषधों का उपभोग।–** कोई सरकारी सेवक मादक पेय या औषध का उपभोग नहीं करेगा। प्रत्येक सरकारी सेवक तत्समय जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में प्रवृत्त मादक पेय या औषध सम्बन्धी विधि का कड़ाई के साथ अनुपालन करेगा।

5. **प्राइवेट उपक्रमों (उद्यमों) में सरकारी सेवकों के निकट सम्बन्धियों का नियोजन।–** (1) कोई सरकारी किसी ऐसे प्राइवेट उपक्रमों में जिसके साथ उसे पदीय कारबार करना पड़ता है या किसी ऐसे अन्य उमक्रमों में जिसके साथ सरकार का कारबार

---

[2] अधिसूचना संख्या– 3/एम.–1–14–2001–2404 दिनांक– 04.05.2001 द्वारा अंतःस्थापित।

[3] अधिसूचना संख्या– 3/एम.–75/2008–1823 दिनांक– 16.02.2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

चलता हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को नियोजन दिलाने के लिए अपने पदीय प्रभाव का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा।

(2) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रितों को किसी ऐसे प्राइवेट उपक्रम में, जिसके साथ उसका पदीय कारबार हो या किसी ऐसे उपक्रम में, जिसका सरकार के साथ कारबार हो, कोई नियोजन स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

परन्तु जहाँ किसी नियोजन की स्वीकृति सरकार की पूर्व अनुज्ञा की प्रतीक्षा में रोकी नहीं जा सकती हो, या अन्यथा अति आवश्यक समझी जाए, वहां यह बात सरकार को सूचित की जायगी, और सरकार की अनुज्ञा की प्रत्याशा में नियोजन, कच्चे तौर पर स्वीकार किया जा सकेगा।

(3) यदि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य, सरकार द्वारा अनुज्ञा अस्वीकृत होने के बावजूद, उपर–निर्दिष्ट किसी नियोजन को स्वीकार कर लें, तो सरकारी सेवक यह बात सरकार को सूचित करेगा और यह भी बतायेगा कि उसे उक्त उपक्रम के साथ कोई पदीय कारबार है या था कि नहीं।

(4)(क) कोई सरकारी सेवक अपने पदीय कर्त्तव्यों के निवर्हन के क्रम में उपक्रम या अन्य व्यक्ति से सम्बन्धित किसी मामले में कोई कार्रवाई न करेगा तथा उसे कोई ठेका न देगा, यदि उसके परिवार का कोई सदस्य उस उपक्रम में या उस अन्य व्यक्ति के अधीन नियोजित हो, अथवा वह स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य रीति से उस उपक्रम या उस अन्य व्यक्ति के साथ हित–सम्बद्ध हो।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में सरकारी सेवक यह बात अपने उच्चतर प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा और इसके बाद उस उच्चतर पदाधिकारी के अनुदेशों के अनुसार वह मामला निबटाया जायेगा।

6. **राजनीति और निर्वाचनों में भाग लेना।**– (1) कोई सरकारी सेवक किसी भी राजनीतिक दल का अथवा राजनीति में भाग लेने वाले किसी संघटन का न तो सदस्य होगा, न अन्यथा उससे सहयुक्त होगा और न किसी राजनीतिक आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा, न उसके सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी दूसरे ढंग से उसकी सहायता करेगा।

(2) हर सरकारी सेवक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या कार्यकलाप में जो विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलटने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्यत या उन्मुख हों, भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी दूसरे ढंग से उसमें मदद पहुँचाने से रोकने की चेष्टा करे, और यदि कोई सरकारी सेवक, अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे आन्दोलन में या कार्य कलाप में भाग लेने चन्दा देने या किसी दूसरे ढंग से मदद पहुँचाने से रोकने में विफल हो, तो वह सरकार को यह बात सूचित करेगा।

(3) यदि यह प्रश्न. उठें कि कोई आन्दोलन या कार्य कलाप इस नियम के दायरे के भीतर पड़ता है या नहीं, तो इस पर सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) कोई सरकारी सेवक किसी विधान–मंडल या स्थानीय प्राधिकार के किसी निर्वाचन में न तो लोगों से मत–संयाचना (कनवासिंग) करेगा, न अन्यथा हस्तक्षेप या अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा, और न भाग लेगा।

परन्तु, (i) जिस सरकारी सेवक को ऐसे निर्वाचन में मत देने का अधिकार है वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकेगा किन्तु यदि वह ऐसा करेगा तो यह बात प्रगट नहीं करेगा कि वह किसे मत देना चाहता है या उसने किसे मत दिया है।

(ii) किसी सरकारी सेवक को केवल इसी कारण इस उपनियम के उपबन्ध का उल्लंघन करने वाला नहीं समझा जायेगा कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अपने ऊपर सौंपे गये कर्त्तव्यों के समुचित पालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता करता हो।

स्पष्टीकरण– किसी सरकारी सेवक द्वारा अपने शरीर, सवारी या निवास पर किसी निर्वाचन–चिन्ह के प्रदर्शन को इस उपनियम के अर्थ के अन्तर्गत निर्वाचन में अपना प्रभाव डालना माना जायेगा।

7. **सरकारी सेवकों को संघों (एसोसिएशन) में शामिल होना।**– कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे संघ में शामिल न होगा या उसका सदस्य न रहेगा, जिसके उद्देश्य या कार्य कलाप भारत की सार्वभौमता और अखण्डता अथवा लोक व्यवस्था या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हों।

8. प्रदर्शन और हड़ताल।– कोई सरकारी सेवक–

(i) किसी ऐसे प्रदर्शन में सम्मिलित न होगा या उसमें भाग न लेगा, जो भारत की सार्वभौमता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, लोक व्यवस्था, भद्रता या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हो अथवा जिसमें किसी न्यायालय का अपमान किसी की मानहानि या किसी अपराध के लिए उत्प्रेरण अर्न्तग्रस्त हो, या

(ii) अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी सेवक की सेवा से सम्बद्ध किसी विषय के सम्बन्ध में किसी प्रकार की हड़ताल या प्रपीड़न या शारीरिक संबाधन का न सहारा लेगा और न उसके लिए दुष्प्रेरण करेगा।

9. समाचार पत्र या रेडियों से सम्बन्ध।– (1) कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए, किसी समाचार पत्र या अन्य आवधिक प्रकाशानों का पूर्णतः या अंशतः स्वामी न होगा और न किसी प्रकार या रीति से उसका सम्पादन अथवा प्रबन्ध करेगा या उसमें भाग लेगा।

(2) कोई सरकारी सेवक, सरकार की या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, अथवा अपने कर्त्तव्यों के वास्तविक पालन के अलावा–

(क) स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के जरिये या किसी प्रकाशक के जरिये कोई पुस्तक प्रकाशित न करेगा या किसी पुस्तक या रचनाओं के संकलन में रचना न देगा; या

(ख) अपने नाम से या गुमनाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी रेडियो प्रसारण में भाग न लेगा या किसी समाचार पत्र या पत्र–पत्रिका को रचना न भेजेगा या पत्र न लिखेगा–

परन्तु ऐसी मंजूरी अपेक्षित न होगी, यदि–

(i) ऐसा प्रकाशन किसी प्रकाशक के जरिये किया जाए, और विशुद्ध साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का हो, या

(ii) ऐसी रचना, प्रसारण या लेखन विशुद्ध साहित्यक या कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का हो।

10. सरकार की आलोचना।– कोई सरकारी सेवक किसी रेडियो प्रसारण में अथवा गुमनाम या छद्मनाम् से या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित लेख्य में या समाचार पत्र को प्रेषित पत्रादि में अथवा किसी सार्वजनिक कथन में कोई ऐसा तथ्य या विचार व्यक्त न करेगा–

(i) जिसका अर्थ भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की किसी प्रचलित या नई नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो, या

(ii) जो भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध में कठिनाई उत्पन्न कर सकता हो,

(iii) जो भारत सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है।

परन्तु इस नियम की कोई बात किसी सरकारी सेवक के किसी ऐसे वक्तव्य या विचार पर लागू न होगी जिसे उसने अपनी पदीय हैसियत से या अपने ऊपर सौंपे गये कर्त्तव्यों के सम्यक् पालन में दिया या व्यक्त किया हो।

11. समिति या किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष साक्ष्य।–(1) उपनियम (3) में उपबन्धित स्थिति को छोड़कर कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकार द्वारा की जाने वाली किसी जांच के सम्बन्ध में साक्ष्य न देगा।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन ऐसी मंजूरी दी गयी हो वहां ऐसा साक्ष्य देते हुए सरकारी सेवक केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति या किसी कार्य की आलोचना न करेगा।

(3) इस नियम की कोई बात निम्नलिखित साक्ष्यों पर लागू न होगी–

(क) सरकार, संसद या राज्य विधानमण्डल द्वारा नियुक्त प्राधिकार के समक्ष जांच में दिया गया साक्ष्य,

(ख) किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्य, और

(ग) सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य।

12. **जानकारी का अप्राधिकृत संसूचना।**– कोई सरकारी सेवक, सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण अथवा अपने ऊपर सौंपे गये कर्त्तव्यों के सद्भावनापूर्वक पालन से अन्यथा, किसी सरकारी लेख्य या उसके किसी अंश की विषय वस्तु या जानकारी किसी ऐसे सरकारी सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः संसूचित न करेगा जिसे वह ऐसी विषय वस्तु या जानकारी संसूचित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

स्पष्टीकरण– किसी सरकारी सेवक द्वारा (कार्यालय प्रधान या विभागाध्यक्ष या सरकार को सम्बोधित अपने स्पष्टीकरण, अभिवेदन, अपील, अभ्यावेदन आदि में) किसी ऐसे पत्र, परिपत्र या कार्यालय–ज्ञापन से अथवा किसी ऐसी संचिका की टिप्पणियों से जिसे देखने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है अथवा जिसे वह अपने व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए या अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखने के लिए प्राधिकृत नहीं है, उद्धरण लेना इस नियम के अर्थ में जानकारी का अप्राधिकृत संसूचन माना जायेगा।

[4]12. क. प्रत्येक सरकारी सेवक, अपने ऊपर सौंपे गये कर्त्तव्यों के सदभावपूर्वक पालन के प्रयोजनार्थ जनता में से किसी को या किसी संस्था को पूर्ण एवं सही जानकारी, जिसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया जा सकता हो, का संसूचन करेगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रावधानों का यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जायेगा कि किसी वर्गीकृत सूचना का किसी अप्राधिकृत रूप में अथवा किसी सरकारी सेवक या अन्य को अनुचित लाभ के लिए संसूचन की अनुमति दी गई है।

13. **चन्दा।**– कोई सरकारी सेवक सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी उद्देश्य से/के लिए कोई निधि, या अन्य राशि जमा करने के लिए नगद या वस्तु रूप में चंदा न मांगेगा, न स्वीकार करेगा, न ऐसा काम में भाग लेगा।

14. **प्रीतिदान।**– जहां इस नियमावली में अन्यथा उपबन्ध है वहां छोड़कर कोई सरकारी सेवक, सरकार, या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई प्रीतिदान स्वीकार न करेगा

---

[4] अधिसूचना संख्या– 3/एम.–75/2008–3468 दिनांक– 16.11.2011 द्वारा अन्तःस्थापित।

या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से काम कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति न देगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ "प्रीतिदान" के अन्तर्गत सरकारी सेवक से कोई पदीय सम्बन्ध न रखने वाले निकट सम्बन्धी या व्यक्तिगत मित्र से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया मुफ्त परिवहन, मुफ्त भोजन, मुफ्त आवास, या कोई अन्य सेवा अथवा आर्थिक लाभ आते हैं, लेकिन इसके अन्तर्गत आकस्मिक भोजन, आकस्मिक प्रीतिदान या अन्य सामाजिक आतिथ्य नहीं आते हैं।

टिप्पणी– सरकारी सेवक (i) अपने साथ पदीय सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति का या किसी औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक फर्म, संगठन आदि का खर्चीला या बारबार आतिथ्य स्वीकार करने से, और

(ii) किसी सार्वजनिक भवन के शिलान्यास या किसी समारोह के अवसर पर भेंट की गई कोई करनी, चाभी या ऐसी अन्य वस्तुएँ स्वीकार करने से परहेज करेगा।

(2) विवाह, जन्मतिथि, अन्त्येष्टि और धार्मिक पर्व आदि जैसे अवसरों पर यदि प्रीतिदान देना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो, तो सरकारी सेवक अपने निकट सम्बन्धियों से प्रीतिदान स्वीकार कर सकेगा, किन्तु यदि ऐसे प्रीतिदान का मूल्य [5][15,000 रुपये] से अधिक हो तो वह इसकी सूचना सरकार को देगा।

(3) उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अवसरों पर सरकारी सेवक अपने साथ पदीय सम्बन्ध न रखने वाले व्यक्तिगत मित्रों से प्रीतिदान स्वीकार कर सकेगा किन्तु यदि ऐसे प्रीतिदान का मूल्य [5][6,000 रुपये] से अधिक हो तो वह इसकी सूचना सरकार को देगा।

(4) अन्य किसी भी दशा में, सरकारी सेवक, सरकार या विहित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, ऐसा कोई प्रीतिदान स्वीकार न करेगा, यदि उसका मूल्य श्रेणी–1 या श्रेणी–2 का पद धारण करने वाले सरकारी सेवक की दशा में [5][3,000 रुपये] से

---

[5] अधिसूचना संख्या– 3/एम.–75/2008–3468 दिनांक– 16.11.2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिक और श्रेणी–3 या श्रेणी–4 का पद धारण करने वाले सरकारी सेवक की दशा में [5][1000 रुपये] से अधिक हो ।

परन्तु यदि सरकारी सेवक के लिए सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना व्यवहार्य न हो, तो वह ऐसा प्रीतिदान स्वीकार करने के एक महीने के भीतर, यथास्थिति सरकार या विहित प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा जिसमें बतायेगा कि किन परिस्थितियों में ऐसा प्रीतिदान स्वीकार किया गया और यदि सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसे प्रीतिदान को स्वीकार करना अनुमोदित न करें तो वह प्रीतिदान उसके दाता को लौटा देगा।

15. **सरकारी सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन।**– (1) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई सम्मान पत्र या विदाई–पत्र, कोई प्रशंसापत्र स्वीकार न करेगा, या अपने या किसी अन्य सरकारी सेवक के सम्मान में आयोजित किसी सभा या समारोह में उपस्थित न होगा।

परन्तु इस नियम की कोई बात निम्नलिखित स्थितियों में लागू न होगी।

(i) जहाँ किसी सरकारी सेवक के सम्मान में उसके सेवानिवृत्ति या स्थानान्तरण के अवसर पर या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में जिसने हाल ही में किसी सरकार की सेवा छोड़ी हो, सारतः वैयक्तिक और अनौपचारिक ढंग का विदाई समारोह आयोजित किया जाए, या

(ii) जहाँ लोक निकायों या संस्थाओं द्वारा नाममात्र खर्च पर सादा सत्कार आयोजित किया जाए।

(2) कोई सरकारी सेवक किसी विदाई समारोह में, भले ही वह पूर्णतः प्राइवेट और अनौपचारिक ढंग का हो, चन्दा देने के लिए किसी सरकारी सेवक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।

(16) प्राइवेट व्यापार या नियोजन।– (1) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो कोई व्यापार या कारबार करेगा और न कोई नियोजन स्वीकार करेगा।

परन्तु कोई सरकारी सेवक, ऐसी मंजूरी के बिना, सामाजिक या परोपकारी ढंग का कार्य अथवा कभी–कभी होने वाला साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का मान्यक (आनरेरी) कार्य निम्नलिखित शर्तों पर कर सकेगा–

(i) वह ऐसा कार्य हाथ में लेने के एक मास के भीतर यह बात पूरे ब्योरे के साथ सरकार को सूचित कर देगा;

(ii) इसके चलते उसके पदीय कर्त्तव्यों में बाधा न पड़ेगी; और

(iii) वह ऐसा कार्य छोड़ देगा, यदि सरकार ऐसा निदेश दे।

परन्तु यह भी कि यदि ऐसे कार्य को स्वीकार करने में कोई निर्वाच्य पद धारण करना होता हो तो वह सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी ऐसे पद के लिए निर्वाचन में खड़ा नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 1– यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य की अपनी अथवा उसके द्वारा प्रबन्धित किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी के कारबार को बढ़ाने के लिए कोई संयाचना (कनवासिंग) करे तो वह इस उप–नियम का भंग समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण 2– द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट निर्वाच्य पद के किसी उम्मीदवार या किन्हीं उम्मीदवार के हित में मत–संयाचना (कनवासिंग) करना इस उप–नियम का भंग माना जायेगा।

(2) यदि सरकारी सेवक के परिवार का कोई सदस्य किसी व्यापार या कारबार में लगा हो, अथवा उसकी अपनी या उसके द्वारा प्रबन्धित कोई बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी हो तो वह सरकारी सेवक यह बात सरकार को सूचित करेगा।

(3) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना या अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन से अन्यथा कम्पनी अधिनियम (कम्पनी एक्ट), 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी बैंक या कम्पनी के अथवा किसी ऐसी सहकारी समिति के, जिसका मूल उद्देश्य वाणिज्य हो, रजिस्ट्रीकरण, सम्बर्द्धन या प्रबन्ध में भाग न लेगा;

परन्तु कोई सरकारी सेवक सहकारी समिति अधिनियम, [6]1912(21,1912) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और मूलतः सरकारी किसी सहकारी समिति के अथवा समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट), 1860 (21, 1860) या तत्समय प्रवृत्त किसी अनुसारी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या परोपकारी संस्था के रजिस्ट्रीकरण, सम्बर्द्धन या प्रबन्ध में निम्नलिखित शर्तों के साथ भाग ले सकेगा–

(i) वह ऐसा कार्य हाथ में लेने के एक मास के भीतर यह बात पूरे ब्योरे के साथ सरकार को सूचित कर देगा।

(ii) इसके चलते उसके पदीय कर्त्तव्यों में बाधा न पड़ेगी, और

(iii) वह ऐसा कार्य छोड़ देगा, यदि सरकार ऐसा निदेश दे।

परन्तु यह भी कि यदि ऐसे कार्य को स्वीकार करने में कोई निर्वाचन पद धारण करना होता हो तो वह सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी ऐसे पद के लिए निर्वाचन में खड़ा नहीं होगा।

स्पष्टीकरण– द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट निर्वाच्य पद के लिए किसी उम्मीदवार या किन्हीं उम्मीदवारों के हित में मत–संयाचन (कनवासिंग) करना इस उप–नियम का भंग माना जायगा।

(4) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अपनी सम्पत्ति की बिक्री के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई लाटरी न करेगा।

---

[6] अब सहकारी समिति अधिनियम, 1935

(5) कोई सरकारी सेवक, सरकार या विहित प्राधिकारी के मंजूरी के बिना, किसी लोक निकाय या किसी प्राईवेट व्यक्ति का कोई काम करके उसके लिए कोई फीस न लेगा।

17. धन–विनिधान और ऋण लेना और देना।– (1) कोई सरकारी सेवक किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य धन–विनिधान में सट्टेबाजी नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण– शेयरों, प्रतिभूतियों और अन्य धन–विनिधान–पत्रों के बराबर खरीद या बिक्री या दोनों इस उप–नियम के अर्थ में सट्टेबाजी समझे जायेंगे।

(2) कोई सरकारी सेवक कोई ऐसा धन–विनिधान, जिससे उसे अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्पादन में परेशानी हो या उस पर प्रभाव पड़े, न स्वयं करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को या उसकी ओर से काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को करने देगा और यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा धन–विनिधान करने से रोकने में विफल हो तो वह अविलम्ब इस बात की सूचना सरकार को देगा।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई संव्यवहार उप–नियम (1) या उप नियम (2) में निर्दिष्ट ढंग का है या नहीं, तो इस विषय पर सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अपनी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर भूमि या मूल्यवान सम्पत्ति धारण करने वाले किसी व्यक्ति को न कर्ज देगा और न किसी भी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया देगा।

परन्तु कोई सरकारी सेवक अपने वैयक्तिक नौकर को अग्रिम वेतन या अपने किसी मित्र या सम्बन्धी को छोटी–मोटा रकम बिना ब्याज के उधार दे सकेगा, भले ही ऐसे व्यक्ति की भूमि उसकी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर पड़ती हो।

(5) (i) कोई सरकारी सेवक, किसी बैंक, या किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के साथ चलने वाले कारबार (संव्यवहार) के सामान्य क्रम से अन्यथा, स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को, जो उसकी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर पड़ती हो या जिसके साथ उस

सरकारी सेवक की पदीय कारोबार चलने की सम्भावना हों, न उधार देगा, न उससे लेगा, न उसमें कोई धन मूल का ब्याज के रूप में निक्षिप्त करेगा, और न अन्यथा ऐसे व्यक्ति, फर्म या प्राइवेट कम्पनी का कोई धन–सम्बन्धी आभार अपने ऊपर लेगा;

टिप्पणी (क)– यहाँ "धन सम्बन्धी आभार" से अभिप्रेत है न केवल नकदी लेन–देन से उत्पन्न आभार,बल्कि इसमें सेवा या सुविधा के रूप में किसी प्रतिफल के बिना ऐसी कोई वस्तु लेना भी है, जो तुच्छ मूल्य की न हो।

(ख) किसी व्यक्ति को कोई धन ब्याज पर या इस रीति से उधार न देगा, जिसके अनुसार उस उधार या नकदी या जिन्सी प्रतिफल लिया या चुकाया जाता है।

परन्तु कोई सरकारी सेवक अपने किसी सम्बन्धी या निजी मित्र को छोटी रकम का नितांत अस्थायी ढंग का ब्याज–रहित उधार दे सकेगा या उससे ले सकेगा अथवा किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधारी खाता चला सकेगा, या अपने वैयक्तित कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे सकेगा।

परन्तु यह भी कि इस उप–नियम की कोई बात ऐसे किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में लागू न होगी जो सरकारी सेवक ने सरकार की पूर्व मंजूरी से किया हो।

(ii) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने परिवार के किसी सदस्य को पूर्वगामी उप–नियम में निर्दिष्ट प्रकार का कोई संव्यवहार करने की अनुज्ञा न देगा और यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा संव्यवहार करने से रोकने में असमर्थ हो जाए तो वह इस बात की सूचना सरकार को देगा।

(6) जब कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे पद पर नियुक्त या अन्तरित किया जाए, जिससे उसके द्वारा उप–नियम (4) या (5) के उपबन्ध भंग हो सकता हो तब, वह इस स्थिति की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को अविलम्ब करेगा और आगे उन आदेशों के अनुसार काम करेगा जो ऐसा प्राधिकारी उसे दे।

18. दिवाला और आभ्यासिक ऋणग्रस्तता (कर्जखोरी)।— कोई सरकारी सेवक अपना निजी कामकाज इस तरह चलाएगा कि उसके सामने आभ्यासिक ऋणग्रस्तता (कर्जखोरी) या दिवाले की स्थिति न आने पावे। यदि किसी सरकारी सेवक पर लिए गए किसी ऋण की वसूली या दिवाले के लिए कोई विधिक कार्यवाही चलाई जाए, तो वह अविलम्ब इस सम्बन्ध में पूरी बातें सरकार को सूचित करेगा।

टिप्पणी— यह सिद्ध करने का भार ऐसे सरकारी सेवक पर होगा कि ऋणग्रस्तता या दिवाला ऐसी परिस्थिति का परिणाम है जिसे वह अपनी सामान्य जागरुकता के बावजूद पहले ही लक्षित नहीं कर सकता था, या जिस पर उसका कोई वश नहीं था, तथा जिसका कारण उसकी फिजुलखर्ची या मौज उड़ाने की आदत नहीं है।

19. चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति।— (1) हरेक सरकारी सेवक, किसी सेवा में या पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद, हरेक बारह मासों के अन्तराल पर, [7][अर्थात् 31 दिसम्बर के बाद फरवरी 28/29 तक], अपनी आस्तियों एवं दायित्वों की विवरणी ऐसे फारम में, जो सरकार द्वारा विहित किया जाय, विहित प्राधिकारी को देगा जिसमें निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में पूरा ब्योरा दिया रहेगा—

(क) ऐसी स्थावर सम्पत्ति, जो उसकी अपनी हो या उसने अर्जित की हो या विरासत में पायी हो अथवा नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, पट्टे या बन्धक पर उसके द्वारा धारित हो।

(ख) ऐसे शेयर, ऋणपत्र (डिबेंचर), संचयी आवधिक निक्षेप—पत्र और बैंक—निक्षेप सहित नकद रुपये, जो उसके अपने हो या उसने अर्जित किये हो या विरासत में पाए हो अथवा अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अपने द्वारा धारित हों।

(ग) अन्य चल सम्पत्ति जो उसे विरासत में मिली या इसी प्रकार स्वार्जित या स्वधारित हो।

[7] अधिसूचना संख्या— 3/एम.—75/2008—3468 दिनांक— 16.11.2011 द्वारा अन्तःस्थापित।

(घ) प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उसे उपगत ऋण और दायित्व, यदि कोई हों।

टिप्पणी– (1) जबतक अन्यथा निदेश न दिया जाए, उप–नियम (1) सामान्यतः श्रेणी–4 के सेवकों पर लागू नहीं होगी।

टिप्पणी– (2) सभी विवरणियों में [8] [30000 रुपये] से कम मूल्य की चल सम्पत्ति की मदों का मूल्य जोड़ कर एक मुश्त दिखाया जाए। ऐसी विवरणी में कपड़े, वर्त्तन–बासन, पुस्तक आदि जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य शामिल करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी– (3) हरेक सरकारी सेवक, जो इस नियमावली के प्रारम्भ की तारीख को सेवा में हो, इस उप–नियम के अधीन विवरणी ऐसी तारीख तक प्रस्तुत करेगा जो ऐसे प्रारम्भ के बाद सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

परन्तु यदि ऐसा संव्यवहार–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो, या

(ख) किसी नियमित या ख्याति प्राप्त व्यापारी के जरिए न करके दूसरी तरह किया जाए, तो इसके लिए सरकारी सेवक को विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

(2) कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व जानकारी के बिना, किसी अचल सम्पत्ति का अर्जन या निबटाव अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक खरीद, बिक्री या प्रीतिदान के द्वारा या अन्यथा न करेगा।

[9][(3) प्रत्येक सरकारी सेवक, सभी ऐसे संव्यवहार के संबंध में, जिसका मूल्य सरकारी सेवक के दो माहों के मूल वेतन जोड़ ग्रेड–वेतन से अधिक हो, ऐसे संव्यवहार के पूर्ण होने के एक माह के अन्दर सरकार को जानकारी देगा;

---

[8] अधिसूचना संख्या– 3/एम.–75/2008–3468 दिनांक– 16.11.2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
[9] अधिसूचना संख्या– 3/एम.–75/2008–3468 दिनांक– 16.11.2011 द्वारा अन्तःस्थापित।

परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई संव्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो तो सरकार की पूर्व मंजूरी ली जायेगी।]

(4) सरकार या विहित प्राधिकारी, किसी भी समय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी सरकारी सेवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने या अपनी ओर से या अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा धारित या अर्जित चल या अचल सम्पत्ति का पूर्ण और सर्वांगीण विवरण प्रस्तुत करे जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, और यदि सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी अपेक्षा करें, तो इस विवरणी में उन साधनों या स्रोतों का भी ब्योरा रहेगा, जिनसे ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई।

(5) सरकार उप–नियम (4) को छोड़कर इस नियम के किसी उपबन्ध से श्रेणी–3 या श्रेणी–4 के सरकारी सेवकों की किसी कोटि को विमुक्त कर सकेगी।

स्पष्टीकरण– इस उप–नियम के प्रयोजनार्थ "चल सम्पत्ति" के अन्तर्गत निम्न चीजे आती हैं–

(क) जेवर, ऐसी बीमा पॉलिसियाँ जिनका वार्षिक प्रीमियम [10][30,000 रुपये] से अधिक हो, शेयर, प्रतिभूतियाँ और ऋण–पत्र (डिबेंचर);

(ख) ऐसे सरकारी सेवक द्वारा दिए गए या लिए गए ऋण, चाहे उनकी अदायगी हुई हो या न हुई हो;

(ग) मोटर गाड़ियाँ, मोटर साइकिलें, घोड़े या सवारी का कोई अन्य साधन; और

(घ) रेफ्रिजेरेटर, रेडियो और रेडियोग्राम

(6) यदि किसी सरकारी सेवक के पास ऐसे आर्थिक साधन स्रोत या ऐसी सम्पत्ति पाई जाए जो उसके ज्ञात आय–स्रोतों के अनुपात से अधिक हो और जिसका वह संतोषजनक हिसाब न दे सके, तो जब तक प्रतिकूल सिद्ध न किया जाए तब तक यह माना जाएगा कि

---

[10] अधिसूचना संख्या– 3/एम.–75/2008–3468 दिनांक– 16.11.2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

वह अपने सरकारी कर्त्तव्य पालन में गम्भीर कदाचार का दोषी है, जिसके लिए उस पर विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ दांडिक वाद भी चलाया जा सकेगा।

(7) सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से शक्ति–प्रदत्त कोई प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा किसी सरकारी सेवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने अथवा अपने परिवार द्वारा धारित या अर्जित किसी भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति के निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए सुविधाएँ दे, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और ऐसे आदेश का अनुपालन नहीं करना सम्बद्ध सरकारी सेवक का गम्भीर पदीय कदाचार समझा जाएगा।

[11] [(8) वांछित विवरणी समय पर नहीं समर्पित करने वाले सरकारी सेवक का वेतन भुगतान, सरकार या विहित प्राधिकारी विवरणी समर्पित करने तक रोक सकेंगे। समय पर विवरणी नहीं समर्पित किया जाना,अपने सरकारी कर्त्तव्य पालन में गम्भीर कदाचार माना जाएगा जिसके लिए वह विभागीय कार्यवाही का दायी होगा।]

20. भारत से वाहर अचल सम्पत्ति के अर्जन और निवटाव तथा विदेशियों आदि के साथ संव्यवहार आदि के वारे में प्रतिबन्ध।– नियम–19 के उप–नियम(2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी कोई सरकारी सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा–

(क) अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत से बाहर कोई अचल सम्पत्ति खरीद, बन्धक, पट्टे या प्रीतिदान द्वारा या अन्यथा अर्जित करना;

(ख) भारत से बाहर अवस्थित किसी ऐसी अचल सम्पत्ति को जो उसके द्वारा अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से अर्जित की गई थी या धारित है, बिक्री, बन्धक या प्रीतिदान द्वारा या अन्यथा निबटाना या पट्टे पर देना।

(ग) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार, विदेशी संगठन या प्रतिष्ठान के साथ किसी संव्यवहार का करार करना–

---

[11] अधिसूचना संख्या– 3/एम.–75/2008–3468 दिनांक– 16.11.2011 द्वारा अंतःस्थापित।

(i) खरीद बन्धक, पट्टा या प्रीतिदान द्वारा या अन्यथा अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से किसी अचल सम्पत्ति का अर्जन करने के लिए,

(ii) बिक्री, बन्धक या प्रीतिदान द्वारा या, अन्यथा किसी ऐसी अचल सम्पत्ति को जो अपने नाम या अपने परिवार के, किसी सदस्य के नाम से उसने अर्जित की थी उसके द्वारा धारित है, निबटाने के लिए पट्टे पर देने के लिए।

21. **सरकारी सेवकों के कार्य और आचरण का प्रतिसमर्थन।**– कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अपने किसी ऐसे पदीय कार्य को, जो प्रतिकूल आलोचना या अपमानजनक आक्षेप का विषय रहा हो, प्रतिसमर्थित कराने के लिए न्यायालय या समाचार पत्र की शरण न लेगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि कोई सरकारी सेवक अपने व्यक्तिगत चरित्र या व्यक्तिगत हैसियत से किये गये किसी कार्य का प्रतिसमर्थन नहीं कर सकता है; लेकिन वह ऐसी कार्रवाई के सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट करेगा।

22. **गैर–सरकारी या अन्य बाहरी प्रभाव द्वारा संयाचना (कनवासिंग)।**– कोई सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बन्धित किसी विषयों के सम्बन्ध में अपने हित साधन के लिए किसी उच्चतर पदाधिकारी पर कोई राजनीतिक अथवा अन्य बाहरी प्रभाव न डालेगा और न डालने की कोशिश करेगा।

23. **विवाह के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध।**– (1) कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति या पत्नी जीवित हो विवाह या विवाह के लिए करार नहीं करेगा, और

(2) ऐसा कोई सरकारी सेवक जिसका पति या पत्नी जीवित हो किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए करार नहीं करेगा।

परन्तु सरकार किसी सरकारी सेवक को खण्ड (1) या खण्ड (2) में निर्दिष्ट विवाह या विवाह के लिए करार करने की अनुज्ञा दे सकेगी यदि उसका समाधान हो जाए कि–

(क) ऐसे विवाह ऐसे सरकारी सेवक और ऐसे विवाह के द्वितीय पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और

(ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं।

(3) जो सरकारी सेवक भारतीय नागरिक से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका हो या करे वह अविलम्ब सरकार को यह बात सूचित करेगा।

[12]**23. (क) सरकारी सेवकों द्वारा छोटा परिवार रखना।**– प्रत्येक सरकारी सेवक यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी संतान की संख्या तीन से अधिक न हो;

परन्तु इस नियम की बात उस सरकारी सेवक पर लागू नहीं होगी जिनकी 30 सितम्बर, 1977 तक तीन से अधिक संताने हों;

किन्तु ऐसा सरकारी सेवक भी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी संतान की संख्या उस संख्या से अधिक नहीं हो जाय जो उस तारीख को उसको है।

24. दहेज लेना या देना।– कोई सरकारी सेवक दहेज न लेगा और न देगा तथा दहेज लेने या देने के लिए किसी को दुष्प्रेरित न करेगा।

टिप्पणी– दहेज लेना या देना अथवा दहेज लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करना एक कदाचार समझा जायेगा और इसके लिए सम्बद्ध सरकारी सेवक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

[13]**24(क) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबन्ध**– कोई भी सरकारी कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा।

25. निर्वचन।– यदि इस नियमावली के किसी नियम के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो तो वह सरकार को निदेशित किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

26. शक्तियों का प्रत्यायोजन।– सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस नियमावली के अधीन जो शक्ति (नियम–23 के अधीन और इस नियम के अधीन शक्तियों को छोड़कर) सरकार द्वारा या किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोज्य है उसका

[12] अन्तः स्थापित अधिसूचना संख्या– 20648 दिनांक–30.10.1976 द्वारा अन्तःस्थापित।
[13] अन्तः स्थापित अधिसूचना संख्या– 1847 दिनांक– 07.04.2001 द्वारा अन्तःस्थापित।

प्रयोग उक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसा पदाधिकारी या प्राधिकारी करेगा जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

27. **निरसन और व्यावृत्ति।**– बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1956 (इसमें आगे उक्त नियमावली के रूप में निर्दिष्ट) इसके द्वारा निरसित की जाती है और वह प्रवृत्त न रह जायेगी।

परन्तु इस निरसन से –

(क) उक्त नियमावली के पूर्व प्रर्वत्तन पर या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या हुई किसी बात पर, अथवा

(ख) ऐसे किसी अधिकारी, सुविधाधिकार, आभार या दायित्व पर, जो उक्त नियमावली के अधीन अर्जित, उपगत या प्रोदभूत हो चुका हो, अथवा

(ग) उपर्युक्त किसी अधिकार, सुविधानुसार, आभार, दायित्व, शास्ति या दण्ड के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के अधीन किए जा चुके किसी अनुसंधान, विधिक कार्यवाही या उपचार पर,

कोई प्रभाव न पड़ेगा और अनुसंधान, विधिक कार्यवाही या संस्थित क्रिया जारी रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त नियमावली पूर्ववत् प्रवृत्त है।

आर॰–1–44–1975जी० एस०आर०
बिहार–राज्यपाल के आदेश से
सी॰आर॰ वेंकटरामन
सरकार के सचिव